मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIX   अंक 12   मार्च 2024

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	1-3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
V. ऋण प्रबंधन	3
VI. मुद्रा प्रबंधन	3
VII. सरकार और बैंकों का बैंक	3
VIII. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	4
IX. प्रकाशन	4
X. जारी आंकड़े	4
XI. फॉर्म IV	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की समय-सारणी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया है कि 2024-25 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी:

2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तिथियां	
1ली	3-5 अप्रैल 2024
2री	5-7 जून 2024
3री	6-8 अगस्त 2024
4थी	7-9 अक्तूबर 2024
5वीं	4-6 दिसंबर 2024
6वीं	5-7 फरवरी 2025

II. विनियमन

एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली की प्रगति

रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2024 को क्रमशः अपने खुदरा और थोक भुगतान निपटान प्रणाली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली और तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) की प्रगति संबंधी जानकारी जारी की। बैंक ने जारी किया कि एनईएफटी प्रणाली ने 29 फरवरी 2024 को 4,10,61,337 लेनदेन संसाधित करके एक मील का पत्थर प्राप्त किया है, जो अब तक एक दिन में संसाधित लेनदेन की सबसे अधिक संख्या है। बैंक ने कहा कि 2014-23 के दौरान, एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों ने मात्रा के संदर्भ में क्रमशः 700 प्रतिशत और 200 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 670 प्रतिशत और 104 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। आरटीजीएस प्रणाली ने 31 मार्च 2023 को एक दिन में अब तक की सबसे अधिक 16.25 लाख लेनदेन संसाधित किए थे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

समामेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च 2024 को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2024 होगी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएँ 1 अप्रैल 2024 से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

दो वित्त कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च 2024 को आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या संवितरित करने या उसके किसी भी स्वर्ण ऋण के समनुदेश/ प्रतिभूतीकरण /बिक्री पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का ऋण शोधन जारी रख सकती है।

31 मार्च 2023 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी का निरीक्षण किया गया। कंपनी के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याएं पाई गईं, जिनमें ऋण की मंजूरी के समय और चूक (डिफ़ॉल्ट) पर नीलामी के समय स्वर्ण की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और प्रमाणित करने में गंभीर विचलन, मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात में उल्लंघन, सांविधिक सीमा से कहीं अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 607वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 607वीं बैठक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में 22 मार्च 2024 को नागपुर में आयोजित की गई।

बोर्ड ने भू-राजनीतिक गतिविधियों और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण की समीक्षा की। इसके अलावा, बोर्ड ने चालू लेखा वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता में हुई प्रगति सहित रिज़र्व बैंक की गतिविधियों पर भी चर्चा की। बोर्ड ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बजट को भी अनुमोदन प्रदान किया।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

नकदी में ऋण राशि का महत्वपूर्ण संवितरण और संग्रहण, मानक नीलामी प्रक्रिया का अननुपालन, और ग्राहक खातों पर लगाए जाने वाले प्रभार में पारदर्शिता की कमी आदि शामिल थे। पिछले कुछ महीनों में, बैंक ने कंपनी के प्रबंधन और लेखा परीक्षकों के साथ बात-चीत कर परिचालन संबंधी कमियों को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, शेयरों और डिबेंचर के सापेक्ष किसी भी प्रकार के वित्तपोषण, जिसमें शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के साथ-साथ डिबेंचर के अभिदान के सापेक्ष ऋण की मंजूरी और संवितरण भी शामिल है, पर रोक लगाने का निदेश जारी किया है। तथापि, कंपनी सामान्य संग्रहण और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा ऋण खातों का ऋण शोधन जारी रख सकती है। आईपीओ वित्तपोषण के साथ-साथ एनसीडी अभिदान के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में पाई गई कतिपय गंभीर कमियों के कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कंपनी की बहियों की सीमित समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2024 को 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड- जारी करने और आचरण संबंधी निदेश, 2022' पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन किया, जिससे कार्ड जारीकर्ताओं को निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार के लिए कहा गया।

इसके अलावा, बैंक ने कहा कि कार्डधारक की सुविधा के लिए, कार्ड लेनदेन से संबंधित डेटा सीधे कार्ड जारीकर्ता के सिस्टम से एन्क्रिप्टेड रूप में निकाला जा सकता है और मजबूत सुरक्षा के साथ सह-ब्रांडिंग पार्टनर (सीबीपी) प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

एमडी के संशोधित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होते हैं:

i) सभी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)।

ii) भारत में कार्यरत प्रत्येक बैंक। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच एमओयू

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने 7 मार्च 2024 को सीमापारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात्, भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए मुंबई में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सहमति ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री पेरी वारजियो, गवर्नर, बैंक इंडोनेशिया ने हस्ताक्षर किए।

एमओयू में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह रूपरेखा निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में बीजक बनाने और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जो परिणामस्वरूप आईएनआर-आईडीआर विदेशी मुद्रा बाज़ार के विकास को सक्षम करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त कर दिया, जिन्होंने अपने सीओआर को अभ्यर्पण कर दिया था। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंक ने 11 मार्च 2024 को आरबीआई अधिनियम, 1934 की उसी धारा के अंतर्गत चार एनबीएफसी का सीओआर भी निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

परामर्शदाताओं की समिति का पुनर्गठन

रिज़र्व बैंक ने 14 मार्च 2024 को अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 'परामर्शदाताओं की समिति' का पुनर्गठन किया और तत्काल प्रभाव से श्री महेंद्र छाजेड़ के स्थान पर श्री देवेंद्र कुमार को समिति का सदस्य नियुक्त किया। पुनर्गठित 'परामर्शदाताओं की समिति' में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) श्री देवेन्द्र कुमार (पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई) ;
(ii) श्री वेंकटेश हेगड़े (पूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई);
(iii) श्री सुहास गोखले (पूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड)। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एसआरओ के लिए बहुप्रयोजन ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को अपनी विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचे को अंतिम रूप दिया।

बहुप्रयोजन ढांचे में मान्यता प्रदान करने के लिए व्यापक मापदंडों जैसे, उद्देश्य, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और अन्य बुनियादी शर्तें शामिल हैं, जो रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित किसी भी एसआरओ के लिए एक समान होंगी। अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश जैसे, एसआरओ की संख्या, सदस्यता इत्यादि, रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे, जहां भी क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करने का विचार होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एआईएफ में निवेश

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024 को बैंक के दिनांक 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र के संदर्भ में, विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने और हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों में व्यक्त चिंताओं को संबोधित करने की दृष्टि से सूचित किया कि :

i) परिपत्र के पैरा 2(i) में उल्लिखित अधोगामी (डाउनस्ट्रीम) निवेश में आरई की कर्जदार कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें हाइब्रिड लिखतों में निवेश सहित अन्य सभी निवेश शामिल होंगे।

ii) परिपत्र के पैरा 2(iii) के अनुसार प्रावधान केवल एआईएफ योजना में आरई द्वारा निवेश, जिसे एआईएफ द्वारा कर्जदार कंपनी में निवेश किया जाता है, की सीमा तक आवश्यक होगा, न कि एआईएफ योजना में आरई के पूरे निवेश पर।

iii) परिपत्र का पैरा 3 केवल उन मामलों में लागू होगा जहां एआईएफ का आरई की कर्जदार कंपनी में कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है। यदि आरई ने एआईएफ योजना की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश किया है, जिसमें कर्जदार कंपनी का डाउनस्ट्रीम एक्सपोज़र भी है, तो आरई को परिपत्र के पैरा 2 का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

iv) इसके अलावा, परिपत्र के पैरा 3 के संबंध में:

ए) पूंजी से प्रस्तावित कटौती टियर-1 और टियर-2 दोनों पूंजी से समान रूप से की जाएगी।

बी) एआईएफ योजना की अधीनस्थ इकाइयों में निवेश के संदर्भ में प्रायोजक इकाइयों की प्रकृति में निवेश सहित सभी प्रकार के गौण एक्सपोज़र शामिल हैं।

v) फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से आरई द्वारा एआईएफ में निवेश परिपत्र के दायरे में शामिल नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कतिपय व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर 6 मार्च 2024 को निदेश दिया कि

i)कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या करार नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।

ii) कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करने के समय बहु कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंध

धन अंतरण सेवा योजना

रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2024 को बैंक की अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) की शुरुआत के साथ निर्णय लिया कि मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही से धन अंतरण सेवा योजना के त्रैमासिक विवरण की रिपोर्टिंग सीआईएमएस पोर्टल (https://sankalan.rbi.org.in/) पर की जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन – समय- सीमा को बढ़ाना

रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन की प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की समय- सीमा 15 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि:

i) प्रस्तुतियाँ टाइप की हुई होनी चाहिए और ऑनलाइन या डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं।

ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संबंधित कॉलेज/ संस्थान का आईडी कार्ड होना चाहिए।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को विनियमित संस्थाओं को मौजूदा आंतरिक अनुपालन ट्रैकिंग और निगरानी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने और 30 जून 2024 तक मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करने या नई प्रणालियों को लागू करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. ऋण प्रबंधन

भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024 को भारत सरकार के परामर्श से निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2024) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार डब्ल्यूएमए सीमा का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेती है, तो बैंक नए बाज़ार ऋण को जारी कर सकता है। डब्ल्यूएमए /ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

i) डब्ल्यूएमए: रेपो दर

ii) ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियां

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2024 को भारत सरकार के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया। बाजार प्रतिक्रिया के आधार पर और वैश्विक बाज़ार ेंयतद्धिपके समान, 15-वर्षीय अवधि की एक नई दिनांकित तृभितप्रिशुरू करने का भी निर्णय लिया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बाज़ार उधार का कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से 28 मार्च 2024 को घोषणा की कि अप्रैल – जून 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,54,040 करोड़ रहने की संभावना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. मुद्रा प्रबंधन

₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 को ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 29 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में ₹2,000 बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹ 8,202 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹ 2,000 बैंकनोटों में से 97.69 प्रतिशत वापस आ गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सरकारों और बैंकों का बैंकर

जीएसटी, आइसगेट और टिन 2.0

रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2024 को कहा कि प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यालय और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय द्वारा निर्धारित 1800 बजे की समय-सीमा के बाद जीएसटी, आइसगेट और टिन 2.0 लगेज फ़ाइलों को प्रस्तुत करने के लिए बैंक द्वारा कोई छूट नहीं दी जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

वार्षिक सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में आरबीआई लोकपाल का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'उपभोक्ताओं की सुरक्षा - मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण' था।

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री दीपक मिश्रा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे, विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और सीईओ, आरबीआई लोकपाल और उप आरबीआई लोकपाल भी उपस्थित थे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23

रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2024 को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। नवंबर 2021 में रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 की शुरुआत के बाद यह पहली पूर्ण-वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट में आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत गतिविधियों के साथ-साथ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण हेतु वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों और आगे की राह शामिल है।

आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच ओआरबीआईओ और सीआरपीसी को 7,03,544 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इनमें से 2,34,690 शिकायतें 22 ओआरबीआईओ को आवंटित और प्रबंधित की गईं, जबकि 4,68,270 शिकायतें सीआरपीसी द्वारा गैर-शिकायत/ गैर-कार्रवाई योग्य शिकायतों के रूप में बंद कर दी गईं। कुल शिकायतों में से लगभग 85.64 प्रतिशत शिकायतें डिजिटल मोड के माध्यम से प्राप्त हुईं, जिनमें ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल, ईमेल और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) शामिल हैं। ओआरबीआईओ में वर्ष के लिए कुल निपटान दर 33 दिनों के औसत टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के साथ 97.99 प्रतिशत रही। आरबी-आईओएस, 2021 में सुविधा/ सुलह/ मध्यस्थता के माध्यम से शिकायतों के निपटान की परिकल्पना की गई है और इस प्रकार, ओआरबीआईओ द्वारा निपटाई जाने वाली अधिकांश कार्रवाई योग्य शिकायतों (57.48 प्रतिशत) का निवारण आपसी सुविधा/ सुलह/ मध्यस्थता के माध्यम से किया गया था। वर्ष के दौरान, आरबीआई लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध कुल 122 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 119 अपीलें आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत प्राप्त हुईं और शेष तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुईं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का मार्च 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, तीन आलेख, वर्तमान आंकड़े शामिल हैं।

तीन आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति,

ii) महामारी-प्रेरित नीति प्रोत्साहन और मुद्रास्फीति: सीमा-पारीय परिप्रेक्ष्य और

iii) भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

मार्च 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नवत हैं:

क्र. सं.	विषय
1	बैंक-वार एटीएम/पीओएस/कार्ड सांख्यिकी - फरवरी 2024
2	फरवरी 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – फरवरी 2024
4	इकाई-वार पीपीआई सांख्यिकी - फरवरी 2024
5	जनवरी 2024 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मार्च 2024
7	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), दिसंबर 2023
8	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश
9	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)
10	थोक मूल्य सूचकांक
11	केंद्र सरकार के खाते एक नज़र में

मॉनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के संबंध में स्वामित्व और अन्य विवरणों के बारे में विवरण

फॉर्म IV

प्रकाशन का स्थान	मुंबई
प्रकाशन की आवधिकता	मासिक
संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता और पता	योगेश दयाल भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001
उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके पास समाचार पत्र का स्वामित्व है	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001

मैं, योगेश दयाल, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

ह/-
योगेश दयाल
प्रकाशक के हस्ताक्षर
1 मार्च 2024

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।